न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 57/23

GCMS NO 2023/118

हरिप्रसाद पुत्र राधेश्याम निवासी जयलालपुरा तहसील वौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

वनाम

1. मोहनलाल
2. हरगोविन्द
3. मदनलाल
4. शंम्भूदयाल पुत्रान रामसहाय जातियान ब्राहम्ण निवासीयान जयलालपुरा तहसील वौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 24/20 निर्णय दिनांक 3.7.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री रघु बंसल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री बालकृष्ण उपाध्याय

दिनांक 19.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 3.7.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीयान की पुश्तैनी आराजी ख0न0 837,838,839,840,841 कुल किता 5 कुल रकबा 2.03 है0 वाके ग्राम जयलालपुरा है जिस पर प्रार्थीगण काश्त कर अपनें परिवार का जीवकोपार्जन करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 848 है जिसकी पूर्वी मेर के सहारे प्रार्थीयान अपने उक्त खेतो पर आते जाते है। लेकिन प्रार्थीयान को दिनांक 11.6.20 को अप्रार्थीयान ने मेर के सहारे आने जाने से रोका। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया। अतः प्रार्थीयान की आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीयान की आराजी ख0न0 848 की पूर्वी मेर से आने जाने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ प्रार्थीयान/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयान/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गंई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जा[illegible] अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। [illegible]स उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 ने अनुतोष चाहा है कि स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की फरमाई जावे की अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी ख0न0 848 की पूर्वी मेर के सहारे प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी ख0न0 840 तक हमेशा की तरह रास्ते का खुलासा रखें एवं उसमे प्रार्थीगण/रेस्पो0 को आने जाने मे किसी प्रकार की कोई अवरोध उत्पन्न नही करे। यह कि नक्शा ट्रेस मे ख0न0 848 से 840 तक जो रास्ता दर्शाया गया है जिसमे यह नम्बर अंकित नही है उसमे नवीन नम्बर डलवाया जावे जिससे रास्ते को नवीन नम्बर से जाना जावे। पैरा संख्या 2 मे वर्णित अनुतोष रा0का0अधि0 की धारा 251 ए के तहत दिया जाना कानूनन संभव नही है। उक्त अनुतोष के लिए रा0का0अधि0 मे अलगं से प्रावधान है। रेस्पो0 ने पूर्व से मौजूद कथित रास्ते पर बाधा उत्पन्न नही किये जाने व इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के अनुतोष से अलग अपीलांट के खातेदारी की भूमि ख0न0 848 से रास्ता दिये जाने का व उस रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का अनुतोष बिना मांगे दिया गया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि मांगे गये अनुतोष से अलग अथवा अधिक अनुतोष किया जाना गैर कानूंनी है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। यह स्वीकृत तथ्य है कि ख0न0 848 अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी की कृषि भूमि है। रेस्पो0 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अंकित किया है कि उक्त भूमि की पूर्वी मेर से होकर डोटेड लाईन से रास्ता नक्शा ट्रेस मे दिखा रखा है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय से इस तथ्य पर गौर नही किया है। उक्त डोटेड लाईन से रास्ता किस राजस्व अधिकारी के आदेश से अंकित किया है। इससे यह भलि भांति प्रमाणित है कि रेस्पो0 ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से साज कर अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी की भूमि ख0न0 848 डोटेड लाईन दर्ज की है। जिसके संबंध मे अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय मे तरमीम दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत कर रखा है। जो अभी लंबित है। आक्षेपित आदेश से उक्त दावा प्रस्तुत करने का मकसद ही विफल हो जावेगा। अपीलांट के खेत ख0न0 848 की मेर से रेस्पो0 का कभी भी रास्ता नही रहा है। रेस्पो0 उनकी खातेदारी के खेत ख0न0 838 के दक्षिण और स्थित चारागाह भूमि से होकर आते जाते रहे है। रेस्पो0 गिरोहबंद लठठबाज व्यक्ति है जो अपीलांट से रंजिशवश नुकसान पहुँचाने की गरज से अपीलांट की जमीन से रास्ता मांग रहे है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा रास्ता खुलासा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नया रास्ता दर्ज कर कानून के खिलाफ जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे यह विरोध किया था कि रास्ते के विवाद मे लैण्ड होल्डर आवश्यक पक्षकार है। जिसके असंयोजन के कारण दावा रेस्पो0 खारिज होने योग्य है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नही दिया गया है। रेस्पो0 अपीलांट की खातेदारी की आराजी ख0न0 848 की पूर्वी मेर से रास्ता चाहते है जितनी जमीन अपीलांट की भूमि से रास्ते के लिए आवश्यक है। भूमि अपीलांट की ख0न0 848 के संटवा स्थित रेस्पो0 की आराजी ख0न0 840 रकबा 0.5 0है0 अथवा आराजी ख0न0 841

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रकबा 0.5000 है0 मे से अपीलांट को देकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा दी जावे। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अपील की बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो0/प्रार्थीयान की पुश्तैनी आराजी ख0न0 837,838,839,840,841 कुल किता 5 कुल रकवा 2.03 है0 वाके ग्राम जयलालपुरा है जिस पर रेस्पो/प्रार्थीगण काश्त कर अपनें परिवार का जीवकोपार्जन करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के पास अपीलांट/अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 848 है जिसकी पूर्वी मेर के सहारे प्रार्थीयान अपने उक्त खेतो पर आते जाते है। जिसे अपीलांट द्वारा रेस्पो0 को आने जाने से रोकने पर ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट से जबाब प्रार्थना पत्र का प्राप्त किया जाकर तहसीलदार बौली से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर रेस्पो/प्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने हेतु अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि ख0न0 848 की पूर्वी मेर की और मे से 24 मीटर चौडाई जो लगभग 0.01 है0 होती है कि प्रतिकर राशि राजकोष मे जमा कराने के पश्चात अपीलांट/अप्रार्थी को अदा करने की शर्त पर विधि अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है जो विधि के अनुरूप है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत पेश कर रिलीफ चाही गई कि ''घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी ख0न0 848 की पूर्वी मेड के सहारे प्रार्थीगण की खातेदारी ख0न0 840 तक हमेशा की तरह रास्ते को खुलासा रखे एवं उसमे प्रार्थीगण को आने जाने मे किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नही करे तथा नक्शा ट्रेस मे ख0न0 848 से 840 तक जो रास्ता दर्शाया गया है जिसमे यह नम्बर अंकित नही है उसमे नवीन नम्बर डलवाया जावे जिससे रास्ते को नवीन नम्बर से जाना जावे'' उक्त तथ्य से जाहिर है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा केवल मात्र अपीलांट द्वारा रास्ते को अवरूद्व नही करने की प्रार्थना चाही गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चाही गई प्रार्थना के विपरीत डीएलसी राशि का दो गुना राशि प्रतिकर के रूप मे जमा कराने की शर्त पर अपीलांट/अप्रार्थी के खेत मे से रास्ता प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस रिपोर्ट मे किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है केवल मात्र पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है। जबकि विधि के प्रावधान के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से कम स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट मान्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसके साथ ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली के मु0नं0 24/20 निर्णय दिनांक 3.7.23 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही हो तथा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता हो तो प्रार्थीगण/रेस्पो0 से धारा 251 ए के तहत निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट उभयपक्ष की मौजूदगी मे तहसीलदार से तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चत करे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:29 IST
Reason: SelfAttested